# समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग/3120/II/15

1. रामकृपाल तनय हल्कू यादव,
रामवख्श तनय हल्कू यादव,
दोनों निवासी ग्राम वंधी खुर्द, सर्किल ईशानगर,
तह. व जिला छतरपुर म०प्र० .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मंनीराम तनय रमला कुम्हार,
निवासी बौड़ा, सर्किल ईशानगर,
तह. व जिला छतरपुर म०प्र० .....अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमाँक 82अ/19 वर्ष 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ईशानगर द्वारा दिनांक 26.08.98 को वंटित किए जाने से दुखित होकर आवेदक द्वारा अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो समय सीमा के बिंदु पर ही निरस्त की गई जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक को हितवत पक्षकार न मानते हुए, निगरानी सारहीन मान्य किए जाने से यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। एवं विधिवत् समय–सीमा में होने से श्रवण योग्य है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने वंटन अधिकारी ने इस बात पर विचार नहीं किया गया कि, प्रकरण में मुनादी नहीं की गई, चौपाल व चौराहे पर नोटिस चस्पा नहीं किया गया, मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भूमि वंटित की गयी। प्रत्येक वंटन में भूमि वंटन की गई है जैसा कि प्रकरण कमांक 30 अ/19(1) वर्ष 1997–98 में पारित आदेश दिनांक 27.06.1998 को भू–वंटन संख्या कमांक 13 में भूमि स्थित मौजा बौड़ा की भूमि खसरा नं. 644, 588 में से रकवा 0.98 हे0 रकवा नये बंदोबस्त के अनुसार वंटित की गयी एवं उपरोक्त वंटन कमांक 30 अ/19(1)/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 27.06.1998 में अनावेदक मनीराम के भतीजे आशाराम नतय

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.............................. जिला सागर.................

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-9-2015 | 1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 82/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 23/12/2013 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए उन्होंने आदेश 41 नियम 27 के तहत दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा आर्डरशीट का अवलोकन किया अपर आयुक्त सागर के समक्ष आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश दिनांक 19.09.2003 के विरूद्व निगरानी दिनांक 13.11.2003 को प्रस्तुत की थी। जिसका निराकरण 2013 में किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवेदकगण को हितवत पक्षकार न मानते हुए प्रकरण समयसीमा के बिंदु पर आग्रह किया है। जबकि आवेदकगण विवादित भूमि पर कब्जा होना बताते है जिसका बंटन अनावेदक मनीराम को किया गया है। अपर आयुक्त सागर द्वारा अनावेदक को एकपक्षीय किया जाकर प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समयसीमा अधिनियम के बिंदु पर पारित आदेश की पुष्टि की है। इस कारण मैं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2003 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।<br>3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण एवं अनावेदक मनीराम को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करें। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>सदस्य | |

[कृ. प. उ.